आरबीई सं. 89/2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं. ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5 **नई दिल्ली, दिनांक 03.06.2019**

महाप्रबंधक (पी)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: गैर रेल सेवकों को दी जाने वाली पास सुविधा के संबंध में।

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (जो अब से आरएसपीआर-1986 कहा जाएगा) के नियम 11(1) के अनुसार नियम 11 के तहत सूचीबद्ध कतिपय विशिष्ट आधारों पर विशेष पास केवल रेल सेवकों, उनके परिवार के सदस्यों अथवा आश्रित रिश्तेदारों, जैसा भी मामला हो, के लिए अनुमेय है। इसके अलावा, नियम 11(2) में उन परिस्थितियों और शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके अध्यधीन रेल सेवकों को ऐसे पास जारी किए जाएंगे। ये परिस्थितियाँ और शर्तें अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट हैं। अतः यह देखा गया है कि नियम 11 और अनुसूची–VII केवल रेल सेवकों, उनके परिवार के सदस्यों अथवा आश्रित रिश्तेदारों के लिए ही है।

2. बहरहाल, यह देखा गया है कि पूर्व में कुछ गैर रेल सेवकों की पास सुविधाएं भी गलती से आरएसपीआर-1986 की अनुसूची-VII की मद सं. 18(ii से vi), 22, 24(ii एवं iii), 25, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 (पार्ट), 39, 40 एवं 41 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि गैर रेल सेवक को पास/पीटीओ केवल नियम 12 के तहत ही जारी किया जा सकता है। अतः समीक्षा के बाद ऐसे गैर रेल सेवकों को पास/पीटीओ सुविधा नियम 11 के बजाय नियम 12 (अर्थात प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से) के तहत जारी रखने का विनिश्चय किया गया है। तद्नुसार, आरएसपीआर-1986 के नियम 12 के तहत रेल मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन प्रशासनिक अनुदेशों को जारी किया जा रहा है, जिसके अनुबंध-I के अनुसार अब से गैर रेल सेवकों की पास सुविधाएं विनियमित होंगी।

4. इसके अलावा, आरएसपीआर-1986 की अनुसूची-VII की मद सं. 22, 25 एवं 35 (अर्थात आरआरबी/आरआरसी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के लिए, ज़ेडआरयूसीसी/एनआरयूसीसी के सदस्यों के लिए और ट्रेड यूनियन/फ़ेडरेशन के पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए) के तहत दी जा रही पास सुविधाएं अब नियम 11 की अनुसूची-VII द्वारा शासित नहीं होंगी। अतः, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि ये सुविधाएं रेल मंत्रालय के संबंधित नोडल निदेशालय के मौजूदा प्रशासनिक अनुदेशों के तहत जारी रहेंगी और विनियमित होंगी।

5. इसके अलावा यह देखा गया है कि भर्ती/सेवा-मुक्ति पर रिज़र्विस्ट के परिवार और नैमित्तिक मजदूर के लिए उल्लिखित पास सुविधा (अर्थात आरएसपीआर-1986 की मद सं.26 एवं 30) अब प्रासंगिक नहीं है इसलिए इन्हे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है।

6. रेल सेवक (पास) नियम, 1986 से संबंधित संशोधन यथासमय जारी किए जाएंगे।

(डी.वी. राव)
निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

संलग्न: अनुबंध-I

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(i) सचिव, संयुक्त सचिव एवं निदेशक (जीए)/रेलवे बोर्ड.
(ii) रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कंप्यूटर सेल, सी. एंड आई. एस., रेलवे बोर्ड को।
(iii) मानक सूची के अनुसार।

*****

बोर्ड के दिनांक 03.06.2019 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5 का अनुबंध

क्र.सं.	गैर रेलवे कर्मचारी की श्रेणी	पास की किस्म	पास की श्रेणी	राजधानी/ शताब्दी/ दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियों में वैधता	अन्य शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(क) अर्ध (क्वासी) रेल संस्थानों के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी (ख) कर्मचारी कल्याण निधि समितियों के तत्वावधान में नियमित आधार पर चलाए जा रहे रेलवे संस्थानों, पुस्तकालयों, होम्योपैथी/ आयुर्वेदिक औषधालय एवं ऐसी अन्य कल्याणकारी इकाइयों के पूर्णकालिक कर्मचारी	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	उपयुक्त श्रेणी का निर्धारण महाप्रबंधक द्वारा वेतन-सह-ओहदे के आधार पर किया जाएगा	पात्र नहीं है	(i) रेलवे सहकारी साख समितियों/बैंकों में कार्यरत प्रबंधक/लेखाकार को प्रशिक्षण के लिए कार्यस्थल से प्रशिक्षण केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए जारी किया जा सकता है। (ii) रेलवे सहकारी साख समितियों/बैंकों के निदेशकों को जारी किया जा सकता है जब वे या तो शाखा कार्यालय का निरीक्षण करने जाएं या ऋण और अन्य बकायों की वसूली के संबंध में मण्डल अधिकारियों से मिलने जाएं। (iii) जब महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी सहकारी समिति के किसी कर्मचारी के लिए यह आवश्यक समझे कि वह विसंगतियों का मिलान करने के लिए लेखा कार्यालय जाए तब जारी किए जा सकते हैं। (iv) स्वयं और पात्र परिवार के सदस्यों के लिए पास और रियायती टिकट आदेश (रेल सेवकों के सुविधा टिकट आदेशों के निबंधनों के अनुसार) निम्नलिखित स्केल पर जारी किए जा सकते हैं:- **पास:** सेवा के पहले और दूसरे वर्ष : कोई नहीं सेवा के तीसरे वर्ष से बीसवें वर्ष तक : कैलंडर वर्ष में 1 सेट पास इक्कीस वर्ष और उससे ऊपर : कैलंडर वर्ष में 2 सेट पास **रियायती टिकट आदेश:** सेवा का पहला वर्ष : कोई नहीं सेवा के दूसरे वर्ष या उससे ऊपर : कैलंडर वर्ष में 2 सेट (v) रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू रियायती मौसम टिकट की तरह उन खंडों में जारी किया जा सकता है जहां रेलवे कर्मचारी आरसीपी/सीएसटी के लाभ के हकदार हैं। (vi) सचिवों और प्रबंधकों के संबंध में पासों और रियायती टिकट आदेशों की संख्या ग्रुप 'सी' रेल सेवकों के समान ही होगी। नोट:- (1) सेवा की समाप्ति के बाद सेवोत्तर मानार्थ पास और रियायती टिकट आदेश अनुमेय नहीं होंगे। (2) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो क्वासी संस्थानों और कर्मचारी लाभ निधि समितियों के तत्वावधान

2.6.19

क्र.सं.	गैर रेलवे कर्मचारी की श्रेणी	पास की किस्म	पास की श्रेणी	राजधानी/शताब्दी/दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियों में वैधता	अन्य शर्तें
					अंतर्गत चल रही कल्याणकारी इकाइयों द्वारा पुनर्नियोजित किए गए हैं वो सेवोत्तर खाते से या फिर उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार पास सुविधा का चयन कर सकते हैं। (3) भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समाकलित रेल कर्मचारी सहकारी बीमा समितियों के कर्मचारी उपर्युक्त सुविधाओं के हकदार नहीं हैं। (4) प्रथम श्रेणी पास/रियायती टिकट आदेशों में परिचर की सुविधा नहीं होगी। (5) पास/रियायती टिकट आदेशों में आश्रित रिश्तेदार को शामिल नहीं किया जाएगा।
2.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए आमंत्रित कलाकार	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी	पात्र नहीं हैं।	(i) रेल सप्ताह के दौरान आयोजित समारोहों में भाग लेने के लिए मुख्य कलाकार (रेल सेवक) के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सहायक कलाकारों और बाहरी लोगों को जारी किए जा सकते हैं। पूरी पार्टी के लिए पास की श्रेणी वह उच्चतर श्रेणी होगी जिसके लिए पार्टी का एक सदस्य (जो रेल सेवक है) साधारणत: पात्र है परंतु यह प्रथम श्रेणी से उच्चतर नहीं होगी। (ii) एक कैलंडर वर्ष में 5 प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के 15 पास उन कलाकारों को जारी किए जाएंगे जिन्हें रेलवे महिला संगठन आदि जैसे मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा धर्मार्थ उद्देश्य के लिए आयोजित समारोह, जिसकी सकल आय प्राप्ति संगठनों की निधि में जमा किए जाते हैं और जिसका उपयोग रेल सेवकों कल्याण के लिए और/या रेल मंत्री की कल्याण और सहायता निधि में योगदान के लिए किया जाता है, में आमंत्रित किया जाता है। एक कैलंडर वर्ष में 5 प्रथम श्रेणी और 15 द्वितीय श्रेणी से अधिक पासों की जरुरत, यदि कोई, हो तो उसका खर्च संबंधित संगठन को स्वयं वहन करना होगा।
3.	रेल दुर्घटना के उत्तरजीवी और पीड़ित के आश्रित	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	शर्तों में यथा अनुबद्ध	उसी किस्म की गाड़ी में जिसमें पीड़ित यात्रा कर रहा था	(i) उसी श्रेणी के पास जिसमें उत्तरजीवी यात्रा कर रहा था अथवा यदि डॉक्टर द्वारा सिफ़ारिश की जाती है तो उससे उच्चतर श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं। (ii) पीड़ित के दो से अधिक आश्रितों को पास जारी नहीं किए जाएंगे।
4.	केंद्रीकृत रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आमंत्रित लेक्चरर/प्रतिष्ठित व्यक्ति	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	प्रथम श्रेणी 'ए'/प्रथम श्रेणी	पात्र नहीं है	(i) भारत सरकार के संयुक्त सचिव/एसएजी और उससे ऊपर के रैंक के अतिथि लेक्चरर को 1-एसी श्रेणी में यात्रा के लिए वैध पास जारी किया जाए। (ii) अन्य अतिथि लेक्चरर/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संबंध में संबंधित संस्थान के प्रमुख के अनुमोदन से प्रथम श्रेणी पास जारी किए जा सकते हैं।

3.6.19

क्र.सं.	गैर रेलवे कर्मचारी की श्रेणी	पास की किस्म	पास की श्रेणी	गाड़ियों में राजधानी/शताब्दी/दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की वैधता	अन्य शर्तें
5.	रेलवे मैजिस्ट्रेट	ड्यूटी पास	प्रथम श्रेणी	हाँ	(i) संबंधित क्षेत्राधिकार और मण्डल मुख्यालय, जहां भी अपेक्षित है, के लिए ड्यूटी कार्ड/चेक पास। (ii) ड्यूटी कार्ड पास में परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा। **नोट:-** ऐसे पासों को जारी करने से संबंधित अन्य शर्तें मौजूदा प्रशासनिक आदेशों द्वारा शासित की जाएंगी। (संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 15.01.2004 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)96/पीएस5-11/1, दिनांक 25.03.1963 का सं. ई(ट्रेनिंग)61/पीएस5-2/6, दिनांक 16.04.1962 का सं.ई(जी)61/पीएस5-2/6 एवं दिनांक 24.09.1960 का सं.ई(जी)60/पीएस5-2/3).
6.	राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)	ड्यूटी पास	प्रथम श्रेणी 'ए' अथवा प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी	प्रत्येक राज्य के आईजी और अधिक के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी, जो अनन्य रूप से जीआरपी के प्रभारी अध्यक्ष है	(i) विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार अर्थात रा.रे.पु. के अधिकारी/प्राधिकारी के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रथम/द्वितीय श्रेणी ड्यूटी कार्ड/चैक पास की हकदारी है, इसे निकटवर्ती रेलों पर भी दिया जा सकता है। (ii) उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्राधिकार में रा.रे.पु के अधिकारी केवल स्वयं यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी 'ए' ड्यूटी पास के लिए हकदार हैं, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों के यात्रा भत्ता नियमों/आदेशों/अनुदेशों के अनुसार प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में भी यात्रा करने के लिए हकदार हों जो निम्नानुसार विनियमित होंगे:- (क) महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/अपर महानिरीक्षक जो राजकीय रेलवे पुलिस के विशेष प्रभारी हों, प्रथम श्रेणी 'ए' "ड्यूटी कार्ड पास" के लिए हकदार हैं, जो मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं। (ख) कोई कतिपय अन्य ड्यूटियों (अर्थात् विशेष प्रभारी न हों) के अलावा राजकीय रेलवे पुलिस का पर्यवेक्षण करने वाले महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/अपर महानिरीक्षक रेलवे ड्यूटी करने के लिए प्रथम श्रेणी 'ए' "ड्यूटी चैक पास" के लिए हकदार हैं जो मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं। (ग) प्रत्येक राज्य के महानिरीक्षक के समकक्ष रैंक और उससे ऊपर का एक अधिकारी, राजकीय रेलवे पुलिस का प्रमुख और विशेष प्रभारी स्वयं के लिए प्रथम श्रेणी 'ए' "ड्यूटी कार्ड पास" के लिए हकदार हैं, जो मेल/एक्सप्रेस/राजधानी गाड़ियों के प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की एग्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं। नोट:- ऐसे पासों को जारी करने से संबंधित अन्य शर्तें समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों द्वारा शासित होंगी। (संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 13.05.2011 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2011/पीएस5-13/1, दिनांक 08.04.2005 का सं.ई(डब्ल्यू)2002/पीएस5-1/10, दिनांक 04.01.1999 का सं.ई(डब्ल्यू)91/पीएस5-13/2 और 21.02.1986 का सं.ई(डब्ल्यू)86/पीएस5-13/1).

3.6.19

क्र.सं.	गैर रेलवे कर्मचारी की श्रेणी	पास की किस्म	पास की श्रेणी	राजधानी/ शताब्दी/ दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियों में वैधता	अन्य शर्तें
7.	सेवारत और पूर्व रेल मंत्री (एमआर/ एमओएस(आर)/ डीएमआर)	ड्यूटी पास / कार्यकाल सुविधा पास / मानार्थ कार्ड पास	प्रथम श्रेणी 'ए'	हाँ	(i) सेवारत एमआर/एमओएस(आर)/डीएमआर:- (क) पदधारी एमआर/एमओएस(आर)/डीएमआर को कार्यालय (ऑफिशियल) ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए गोल्ड पास जारी किए जा सकते हैं। (ख) ड्यूटी से इतर व्यक्तिगत यात्रा के लिए सेवारत एमआर/ एमओएस(आर) /डीएमआर को स्वयं एवं रेल सेवक (पास) नियम में समय-समय पर यथा संशोधित एवं परिभाषित अन्य पात्र सदस्यों अर्थात परिवार एवं आश्रित रिश्तेदार के लिए प्रथम श्रेणी-ए के 6 सेट कार्यकाल सुविधा पास दिए जा सकते हैं। (ग) पास पर यात्रा करने की अन्य शर्तें वही रहेंगी जो सेवारत बोर्ड सदस्यों के लिए लागू हैं। (ii) पूर्व एमआर/एमओएस(आर)/डीएमआर:- आजीवन वैधता के साथ प्रथम श्रेणी 'ए' मानार्थ कार्ड पास स्वयं के लिए एवं उसी श्रेणी में एक सहचर के साथ जारी किया जाएगा।
8.	लेक्चररों/ इन्स्ट्रक्टरों को वर्कर्स एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	प्रथम श्रेणी से ऊपर नहीं	पात्र नहीं हैं।	एआईआरएफ/एनएफआईआर द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय स्टेशन/मण्डल मुख्यालय स्टेशन/केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित वर्कर्स एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जारी किए जा सकते हैं।
9.	गाड़ी चालन जैसे ट्रायल रन, आदि के संबंध में आमंत्रित व्यक्ति	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	महाप्रबंध क द्वारा यथा निश्चित	पात्र नहीं हैं।	महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किए जा सकते हैं।
10.	रेल दावा अधिकरण के समक्ष दावेदार	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	शयनयान श्रेणी	पात्र नहीं हैं।	रेल अधिनियम 1989 के खंड 124 एवं 124-ए के तहत आने वाले मामलों के संबंध में रेल दावा अधिकरण द्वारा दावाकर्ताओं को उपस्थित होने के लिए उनके आवास से सुनवाई स्थल तक और वापसी में सुनवाई स्थल से आवास तक के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।
11.	रेलों में आयोजित किए जा रहे रक्तदान/नेत्र परीक्षण शिविर के संबंध में आमंत्रित डॉक्टर/पैरा मेडिकल स्टाफ	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	महाप्रबंधक द्वारा यथा निश्चित, परंतु प्रथम श्रेणी से ऊपर नहीं	पात्र नहीं हैं।	इष्टतम आवश्यकता आधारित स्थिति में कार्यस्थल/आवास के स्थान से जहां कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और वापस के लिए जारी किए जा सकते हैं।

3.6.19

क्र.सं.	गैर रेलवे कर्मचारी की श्रेणी	पास की किस्म	पास की श्रेणी	राजधानी/ शताब्दी/ दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियों में वैधता	अन्य शर्तें
12.	सहायक (लाइसेंस्ड पोर्टर)	मानार्थ 'एडमिन' चेक पास	द्वितीय श्रेणी/ शयनयान श्रेणी	पात्र नहीं हैं।	केवल स्वयं एवं पति/पत्नी के लिए एक सेट और 2 सेट पीटीओ देय होंगे, जिनकी वैधता 5 माह होगी। (संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 08.03.2019 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-6/6).
13.	आरआरबी/ आरआरसी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाये गए उम्मीदवार	रेलवे बोर्ड के संबंधित नोडल निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार।			
14.	रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद के सदस्य	रेलवे बोर्ड के संबंधित नोडल निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार।			
15.	ट्रेड यूनियन/फेडरेशन के पूर्ण कालिक कर्मचारी	रेलवे बोर्ड के संबंधित नोडल निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार।			

(कुल 15 प्रविष्टियाँ)

3.6.19